भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3871
बुधवार, 12 अगस्त, 2015/21 श्रावण, 1937 (शक)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

3871. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:
श्री बी. श्रीरामुलु:
श्री पिनाकी मिश्राः
श्री दुष्यंत चौटालाः
श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा अनुसरित पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या उद्योगों द्वारा गैर प्रचलित समझी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आईटीआई के विद्यार्थियों के रोजगार अवसरों पर इसने नकारात्मक प्रभाव डाला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उद्योगों की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम को समकालीन बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री राजीव प्रताप रूडी)

(क) से (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) द्वारा पालन किए जा रहे पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या अद्यतन है तथा यह उद्योगों की प्रौद्योगिकीय आवश्यकता के लिए बहुत अधिक संगत है।

(ङ) पाठ्यक्रम को उद्योग/बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए सरकार ने जनवरी, 2014 में तीन वर्षों की अवधि हेतु परामर्शदाता परिषद् (एमसीज) का गठन किया है, जिसमें संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों की अगुवाई करने वाले उद्योग, शैक्षिक/व्यावसायिक संस्थानों के क्षेत्र विशेषज्ञ, आईआईटीज और आईटीआइज के प्रतिनिधि शामिल हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत 63 व्यवसायों की पाठ्यचर्या को संशोधित/अद्यतन किया गया है, उद्योग की आवश्यकता के अनुसार 21 नए व्यवसायों को आरंभ किया गया है तथा 20 अप्रचलित व्यवसायों को बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त "नियोजनीयता कौशल" कोर्स के अनिवार्य पाठ्यक्रम को भी संशोधित एवं अद्यतन किया गया है।

*****